4.3.3c. Shodhganga

MoU between SGPGIMS and Shodhganga

English Translation of MoU

In case of violation of the obligations and conditions of this MoU, both the parties will have the right to cancel this MoU at any time and the signed MoU can be canceled by both the parties at any time on 90 days written notice. Upon termination of this consent, INFLIBNET/University/Institute will stop hosting theses with immediate effect, however, the already submitted dissertations will be preserved by the University/Institute in its archives for the use of its users. E.T. being provided by INPILBNET to the University/Institute. D. Use of the facility and databases must be discontinued. Any software/hardware of INFLIBNET or material digitized thereunder must be returned to INFLIBNET within three months of the notice period.

संस्थान

निदेशक / कुलसचिव
या नामित प्राधिकारी

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

इनफ्लिबनेट

प्रो जे पी सिंह जूरैल
निदेशक
इनफ्लिबनेट केंद्र
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र
इन्फोसिटी गांधीनगर – 382 007

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

इनफ्लिबनेट केंद्र

शोधगंगा / शोधगंगोत्री हेतु सहमति ज्ञापन (एमओयू)

(भारत में स्थित विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने वाले शोध निबंध और प्रबंध का संग्रह)

यह सहमति ज्ञापन (एमओयू) इनफ्लिबनेट केंद्र (गाँधीनगर स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र) जिसे इसमें इसके बाद इनफ्लिबनेट और संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (विश्वविद्यालय / मानद विश्वविद्यालय/अंतर विश्वविद्यालय केंद्र/राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/अन्य) जिसे इसमें इसके बाद विश्वविद्यालय/संस्थान के रूप में संदर्भकित किया जाएगा,जिसके मध्य...27....(दिन)....01....महीना..2023(वर्ष) को सहमति–निर्मित और निष्पादित किया गया।

जबकि, इनफ्लिबनेट केंद्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है,जैसा कि अधिदेशित है, यह विश्वविद्यालयों/संस्थानों में सृजित विद्वत्तापूर्ण सामग्री की खुली पहुँच को बढ़ावा देता है। केंद्र के पास शोध निबंधों और शोध प्रबंधों की खोज, पुनर्प्राप्ति और उपयोग की अबाध पहुंच सुनिश्चित करने वाले अंतरापृष्ठ के साथ इन शोध निबंधों और शोध प्रबंधों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को होस्ट करने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर(संगणक), सॉफ्टवेयर संरचना और तकनीकी जानकारी है।

जहाँ कि संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने पुराने शोध निबंधों और शोध प्रबंधों के डिजिटलीकरण (जो कम्प्यूटर मशीन के पठनीय प्रारूप में उपलब्ध नहीं है।) तथा डिजिटलसंग्रह (रेपोजिटरी) तैयार करने एवं शोधगंगा: जो कि भारत में स्थित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों तथा अन्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में प्रस्तुत भारतीय शोध प्रबंधों तक अबाध पहुंच प्रदान करने वाला संग्रह है, में अपने ई.टी.डी. को होस्ट करने, बढ़ावा देने तथा साँझा करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत के ऐसे शोध निबंध और शोध प्रबंध जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हैं उनकी रिपोजिटरी को संदर्भित करने हेतु शोधगंगा का नामकरण, इनफ्लिबनेट केंद्र द्वारा किया गया हैं, शोध शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध धातु से बनी है एवं उत्पति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ अनुसंधान, खोज, गवेषणा, परिवेक्षण, डिस्कवरी, रिसर्च, अन्वेक्षण आदि अर्थ है।गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की पवित्र एवं सबसे लंबी नदी है, जिसके प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है,गंगा नदी ने प्रारंभ से ही अपनी मनमोहक छवि से लाखों लोगों को अपनी तरफ लुभावित कर आकर्षित किया है,गंगा नदी भारत की अत्यंत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, परिवर्तनशीलता, अनवरत प्रवाह, सतत प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। भारतीय विश्वविद्यालयों/

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

Checked and Verified

संस्थानों में प्रस्तुत शोधपक्षों के एक संग्रह के रुप में "शोधगंगा का स्थान अत्यंत विस्तृत व महत्वपूर्ण है। भारत के अधिक से अधिक शोधकर्ता इस संग्रह में अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य जमा करते हैं। विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के अनुसंधानविद /अनुसंधान पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि वे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित सिनोप्सिस का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि उन्होंने पी.एच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकृत किया है शोधगंगोत्री में जमा करें।

यह सहमति ज्ञापन, (एमओयू) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना (एमफिल/पीएचडी) डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2009 दिनांक 1 जून, 2009 / 5 मई, 2016 को किया गया संशोधन, में निहित शर्तों के अधीन, संस्थान के उत्तरदायित्यों, देयताओं तथा वचनबद्धताओं को परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत उचित व्यवस्था के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, इसमें शामिल संस्थानों की प्रतिबद्धता तथा इलेक्ट्रॉनिक शोध एवं शोध प्रबंध को प्रस्तुत करने और उपयोग करने से संबंधित उद्देश्य को पूरा करना शामिल है।

इस परिप्रेक्ष्य में अब इनफ्लिबनेट और विश्वविद्यालयों/ संस्थानों निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आपस में यह सहमती करते हैं।

I **<u>इनफ्लिबनेट केंद्र</u>**

1 इनफ्लिबनेट केंद्र विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को सॉफ्टवेयर अंतरापृष्ठ सक्रिय करने तथा विद्यार्थियों द्वारा मेटाडेटा सृजित करने व शोध निबंध व शोध प्रबंध अपलोड करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु शोधगंगा / शोधगंगोत्री में ई.टी.डी. होस्टिंग सर्वर की सुगमता प्रदान करेगा। इनफ्लिबनेट डेटा को अक्षुण्ण और उपयोगी बनाए रखने की जिम्मेदारी लेगा तथा इसके नुकसान से बचने के लिए डेटा का बैकअप रखेगा। इनफ्लिबनेट डिजिटल संरक्षण संबंधी उपकरण व तकनीक का संस्थापन करेगा ताकि डिजिटल फॉर्मेट में विद्वत्तापूर्ण सामग्री की अनवरत सुगमता में सुनिश्चित हो सके तथा माध्यम की विफलता के साथ-साथ, भौतिक हानि व अप्रचलन से भी इनकी संरक्षा करेगा।

2** यूजीसी अधिनियम की धारा 12(B) और 2(f) के तहत् विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए यूजीसी को सिफारिश करेगा ताकि कम्प्यूटरीकृत मशीन पर पठनीय प्रारूप में अनुपलब्ध शोध प्रबंध और शोध निबंध का डिजीटलीकरण किया जा सके और / या ई.टी.डी. के निर्माण के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली / आधारभूत संरचना की अधिप्राप्ति और संस्थापन किया जा सके ।

Checked and Verified

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

3 ई.टी.डी. की स्थापना हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर और सम्बंधित प्रणालियों की खरीद के लिए सिस्टम विनिर्देशों और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।

4 पूर्व में विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को प्रस्तुत पीएचडी शोध तथा साथ ही साथ कम्प्यूटरीकृत मशीन पठनीय फॉर्मेट में जो शोध उपलब्ध न हो उनके डिजिटलीकरण के लिए दिशा-निर्देश, तकनीकी मानदंड और विनिर्देश तय करना ।

5 मुख्यत: शोधगंगा पर ई.टी.डी. के डिजिटल संग्रह के सृजन, अद्यतनव कम्प्यूटरीकृत प्रचालन के संबंध में विश्वविद्यालयों/ संस्थानों (पुस्तकालय के क्षेत्र तथा / अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र) से सम्बंधित कम से कम एक व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

6 संभाव्य साहित्यिक चोरी हेतु शोध का मूल्यांकन करने के लिए एक साहित्यिक चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान करना ।

7 विवादास्पद स्वरूप की किसी भी सामग्री को होस्ट करने अथवा प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन से सम्बंधित किसी भी सामग्री को इनफ्लिबनेट होस्ट करने से इनकार कर सकता है ।

8 इनफ्लिबनेट की अस्वीकृति के इस अधिकार के बावजूद विश्वविद्यालयों/ संस्थानों शोध अध्येता इनफ्लिबनेट और जनता दोनों के प्रति उनके शोध-प्रबंध की सामग्री के मानहानिकारक होने या वाद-योग्य होने या फिर शोध-अधेय्ता द्वारा इनफ्लिबनेट और प्रतिलिप्याधिकार स्वामी दोनों के प्रति प्रतिलिप्याधिकार अतिलंघन दायित्वों से मुक्त नहीं होते ।

9 इनल्फिबनेट केंद्र उत्तरदायी नहीं होगा। (i) त्रुटियों, चूक, गलतियाँ और सामग्री की गुणवत्ता या गलत जानकारी से उपयोगकर्ता या किसी तीसरे पक्ष को होनेवाले किसी भी नुकसान के लिए (ii) प्राकृतिक आपदाओं सहित किसी अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में अपलोड की गई सामग्री की सुरक्षा और पुन:लेखन के लिए; और (iii) शोध प्रबंध के मुद्रित संस्करण के लिए ।

10 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा डिग्री प्रदान करने से पूर्व साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयोग करने हेतु इनफ्लिबनेट केंद्र साहित्यिक चोरी के सॉफ्टवेयर की सिफारिश करेगा या उपलब्ध कराएगा ।

11 इनफ्लिबनेट केंद्र शोध निबंधों और शोध प्रबंधों की सामग्री की प्रतिकृति विभिन्न सर्वर और अन्य सहायक संग्रहण मीडिया पर रखता है । हालांकि, इनफ्लिबनेट केंद्र, लोडेड

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

Checked and Verified

सामग्री के पुन:लेखन या पूर्तिकर व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है । इसलिए, विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को भी अपने शोध निबंधों व शोध प्रबंधो की पूर्तिकर व्यवस्था रखनी चाहिए।

12 डॉक्टोरल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीकरण हेतु उनके द्वारा विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को प्रस्तुत शोध प्रसंग की अनुमोदित सार संक्षेप को होस्ट करने हेतु इनफ्लिबनेट केंद्र एक संग्रह का भी अनुरक्षण करता है, जिसे 'शोधगंगोत्री'कहते हैं । शोध छात्रों / उनके पर्यवेक्षकों को अनुमोदित सार संक्षेप (सिनॉप्सिस) / शोध प्रस्ताव को प्रस्तुत करने तथा संग्रह के माध्यम से उनके शोध प्रस्ताव की प्राथमिकता को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

II. विश्वविद्यालय/ संस्थान

1 विश्वविद्यालय/ संस्थान, इस कार्य हेतु शोधगंगा / शोधगंगोत्री अथवा किसी अन्य सर्वर में शोध को डिजिटल फॉर्मेट में होस्ट करने व वितरित करने हेतु इनफ्लिबनेट को विश्वव्यापी अनेकांकित अनुज्ञापित प्रदान करेगा ।

2 विश्वविद्यालय/ संस्थान, उनके शोधकर्ता विद्वानों के सभी शोध निबंधों को पारस्परिक सहमति आधारित मशीन-पठनीय फाइल में शोधगंगा / शोधगंगोत्री सर्वर पर अपलोड करने की सहमति देंगे ।

3 विश्वविद्यालय/ संस्थान, मूल शोध में निहित चूक व त्रुटि के लिए इनफ्लिबनेट केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

4 विश्वविद्यालय/ संस्थान, प्रस्तुत शोध निबंधों व शोध प्रबंधों तथा ग्रंथसूची रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करने के लिए वचनबद्ध होगा तथा साथ ही यह ई.टी.डी. के संचालन के लिए जनशक्ति सहित बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।

5** विश्वविद्यालय/ संस्थान, डिजिटलीकरण सहित ई.टी.डी. के कार्यान्वयन हेतु इनफ्लिबनेट की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6 इनफ्लिबनेट द्वारा आयोजित ई.टी.डी. के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण लेने के लिए विश्वविद्यालय/ संस्थान (पुस्तकालय क्षेत्र या कम्प्यूटर क्षेत्र से) के कम से कम एक व्यक्ति

Checked and Verified

Pandey

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

को प्रतिनियुक्त करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इनफ्लिबनेट द्वारा ई.टी.डी. हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति उसी कार्य हेतु अभिनियोजित है।

7 यह शोध निबंधों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के सृजन व ई.टी.डी. में उनके अभिसाक्ष्य के संबंध में विश्वविद्यालय/ संस्थान से सम्बंधित कॉलेजों के कर्मियों व अनुसंधानकर्ताओं अथवा पुस्तकालय के प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ।

8 अपने ई.टी.डी. में संस्थापन / विकास / प्रचालन हेतु इनफ्लिबनेट द्वारा सुझाए गए मानक सॉफ्टवेयर और मेटाडेटा स्कीमों का उपयोग सुनिश्चित करेगा ।

9 विश्वविद्यालय/ संस्थान समय-समय पर सभी शोध निबंधों और शोध प्रबंधों के ग्रंथ सूची संबंधी अभिलेख बनायेगा और इन अभिलेखों को इनफ्लिबनेट यूनियन कैटलॉग (Indcat) में शामिल करने के लिए योगदान देगा।

10 विश्वविद्यालय/ संस्थान ई.टी.डी. संसाधन / डेटाबेस को इनफ्लिबनेट केंद्र व अन्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के साथ सांझा करने के लिए वचनबद्ध होगा ।

11 विश्वविद्यालय/ संस्थान अपने ई.टी.डी. को इनफ्लिबनेट सेन्टर में स्थापित 'शोधगंगा या अन्य सर्वर' पर डिजिटल संग्रह में होस्ट करने के लिए सहमत होगा और केंद्र को संपूर्ण शोध निबंध का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने (वे शोधपत्र जो डिजिटल हों और साथ ही वे जो स्कैनर्स या डिजिटल कैमरों का उपयोग करके डिजिटल किये हैं) के लिए अबाधित पहुँच ई.टी.डी. के माध्यम से अनेकांकित अनुज्ञापित प्रदान करेगा ।

12** विश्वविद्यालय/ संस्थान यूजीसी द्वारा दी गयी धनराशि के उपयोग से तैयार किए गए शोधप्रबंधों के डिजिटल संस्करण का प्रयोग किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। विश्वविद्यालय किसी भी अन्य पक्ष (व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि) को इनफ्लिबनेट के सिस्टम / सॉफ्टवेयर या ई.टी.डी. डेटाबेस, शोधगंगा या इसके किसी भी हिस्से को किराये पर, विक्रय या इसके प्रयोग हेतु अनुज्ञापित या वितरित या जारी या इसके किसी हिस्से पर किसी और के साथ अधिकार सांझा नहीं करेगा ।

13 यदि ई.टी.डी. के कार्यान्वयन संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए और अधिक संशाधनों अथवा निधि की आवश्यकता होगी, तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय/ संस्थान इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की निधि अथवा अनुदान का उपयोग करने हेतु वचनबद्ध होगा ।

Checked and Verified

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

14 विश्वविद्यालय/ संस्थान, इनफ्लिबनेट द्वारा अनुशंसित साहित्यिक चोरी पता करने के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा और शोध उपाधि प्रदान किए जाने से पूर्व साहित्यिक चोरी के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध का परीक्षण करने के लिए इसे उपलब्ध करायेगा । अगर विश्वविद्यालय/ संस्थान इस सॉफ्टवेयर की सदस्यता नहीं ले रहा है तो वह किसी भी अन्य नजदीकी क्षेत्रीय केंद्र पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा ।

15 विश्वविद्यालय/ संस्थान शोध अध्येताओं / शोध पर्यवेक्षकों को एक बार पीएचडी पंजीकृत हो जाने के उपरांत शोधगंगोत्री पर अपने अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों / अनुमोदित शोध सार संक्षेपों को होस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

समापन

इस सहमति ज्ञापन के दायित्वों व शर्तों के उल्लंघन के मामले में किसी भी समय दोनों पक्षों द्वारा इस सहमति ज्ञापन को रद्द करने का अधिकार होगा एवं हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा किसी भी समय 90 दिन की लिखित सूचना पर रद्द किया जा सकता है । इस सहमति की समाप्ति के उपरांत इनफ्लिबनेट / विश्वविद्यालय/ संस्थान तत्काल प्रभाव से अपने शोध प्रबंधों को होस्ट करना रोक देंगे हालांकि पहले से ही जमा किए गए शोध-प्रबधों को विश्वविद्यालय/ संस्थान अपने अभिलेखागार में अपने उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए सुरक्षित रखेगा । विश्वविद्यालय/ संस्थान को इनफ्लिबनेट द्वारा प्रदान की जा रही ई.टी.डी. सुविधा और डेटाबेसों का उपयोग बंद करना होगा । नोटिस अवधि के तीन महीनों के अंदर इनफ्लिबनेट के किसी भी सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर या उसके माध्यम से डिजिटलीकृत की गई सामग्री को इनफ्लिबनेट को पुन: वापस करना होगा ।

जिसके साक्षी रूप में, पक्षों ने उल्लेखित दिनांक को इस सहमति ज्ञापन को निष्पादित किया

संस्थान

निदेशक / कुलसचिव
या नामित प्राधिकारी

(नाम, हस्ताक्षर और मुहर)

इनफ्लिबनेट

प्रो जे पी सिंह जूरैल
निदेशक
इनफ्लिबनेट केंद्र
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र
इन्फोसिटी गांधीनगर – 382 007

** राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी) /अन्य के लिए लागू नहीं है।

Lt Col Varun Bajpai VSM
Executive Registrar
SGPGIMS,Lucknow

Checked and Verified